2026:RJ-JP:31345

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8728/2026
CNR: RJHC010621862026
URN: CRLMB / 18958U / 2026

Ganpat S/o Manakram, Aged About 37 Years, Resident Of Village Godavas, Police Station Kalyanpur, District Balotra.
(Lodged In Central Jail Bikaner)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8729/2026
CNR: RJHC010621882026
URN: CRLMB / 18960U / 2026

Kapadiya Kiran Bhai Narayan Bhai S/o Narayan Bhai, Aged About 50 Years, Resident Of Kalpswaroop Townhip, B-504, Opposite Yamuna Vadi, Jajda Road, Junagarh, (Gujrat)
(Lodged In Central Jail Bikaner)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anand Purohit Sr. Adv. Assisted by Mr. Pradeep Bhakar
For Respondent(s)	:	Mr. Deepak Choudhary AAG Assisted by Mr. Prem Singh Panwar, PP IO Mr. Mahendra Kumar Gupta Addl. SP ACB, Jaipur City II[nd]

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

14/07/2026

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत ये दोनों आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीपीएस, जयपुर** में दर्ज

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते
2026:RJ-JP:31345

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **155/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **7, 7ए, 8 व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988(संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुए है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह अण्डर टेकिंग दी गई कि वे न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बीकानेर में दिनांक 20.07.2026 को वोईस सैम्पल देने को तैयार है, एफएसएल टीम व उपकरण उस रोज न्यायालय में आने पर वे वोईस सैम्पल देने से इनकार नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्वयं के द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में वोईस सैम्पल देने से इनकार किया गया है। इस आधार पर दिनांक 20.07.2026 से पहले जमानत पर रिहा करने का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली व केस डायरी का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बीकानेर का पत्र दिनांक 09.07.2026 संलग्न है, जिसमें दिनांक 20.07.2026 वोईस सैम्पल हेतु पेशी नियत की गई है और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उस रोज न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित रखे जाने का भी आदेश दिया गया है। अब इस न्यायालय में प्रार्थीगण–अभियुक्तण गणपत व कपाडिया किरण भाई नारायण भाई की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वोईस सैम्पल देने में सहमति प्रकट की है और दिनांक 20.07.2026 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बीकानेर के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर एफएसएल टीम को वोईस सैम्पल देने को तैयार है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत आवेदन स्वीकार किये जाकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है कि दिनांक 20.07.2026 को दोनों अभियुक्तगण व्यक्तिशः अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बीकानेर के समक्ष एफएसएल टीम के

समक्ष वोईस सैम्पल देने के लिए उपस्थित होंगे और यदि दिनांक 20.07.2026 को उपस्थित नहीं होंगे तो यह जमानत आदेश निरस्त समझा जायेगा। इस सशर्त आदेश के तहत यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. गणपत पुत्र माणकराम, 02. कपाड़िया किरण भाई नारायण भाई पुत्र नारायण भाई** विचारण न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त एक–एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावें।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

69-70/SN Lohra/336